न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 643/2024

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. सन्तलाल पुत्र जगदीश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. पूर्णराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. भूपसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. सोना देवी पुत्री ओमप्रकाश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. जगदीश पुत्र बीरबलराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. भालसंह पुत्र जगदीश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. प्रर्मिला पुत्री जगदीश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 21/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 20/19 की कुल 27.1510 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 7 वादीगण एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की पुत्री है एवं बहिन है प्रतिवादीगण संख्या 4 व 7 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में अत्यधिक धन सम्पदा है तथा वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। इन्होने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी स0 6 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 20/19 की कुल 27.1510 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी स0 1 व प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 बहिब के एवं प्रतिवादी स0 5 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 6 [illegible] खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा [illegible] दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 ता 5 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद ड़िक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073—76 रोही मौजा ढाणी लालखां खाता संख्या 20/19, जमाबंदी रोही मौजा ढाणी लालखां जमाबंदी सम्वत 2029 ता 38 बहक रामरख, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का बहिब जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या प्रतिवादीगण संख्या 4 व 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 20/19 की [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज [illegible] है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि [illegible] उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि [illegible]ना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 20/19 की कुल 27.1510 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 को बहिब व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादीगण सं0 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 643/2024

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. सन्तलाल पुत्र जगदीश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. पूर्णराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. भूपसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. सोना देवी पुत्री ओमप्रकाश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. जगदीश पुत्र बीरबलराम जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. भालसिंह पुत्र जगदीश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. प्रर्मिला पुत्री जगदीश जाति जांगिड़ साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 643 सन 2024 निर्णय दिनांक – 21/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के खाता स0 20/19 की कुल 27.1510 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 को बहिब व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 2 व प्रतिवादीगण सं0 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested